

न्यायालय सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रेक), बाडमेर  
पीठासन अधिकारी श्री रोहित चौहान (आर.ए.एस.)  
अनवान

प्रपत्र - 5

अन्तिम डिक्री

बनाम

प्रतिवादीगण

वादीगण  
1. भूली पुत्री जयसिंह पत्नी  
प्रह्लादसिंह पुत्र समरथाजी के  
कायम मुकाम 1/1 रूखबाराम  
पुत्र प्रह्लादराम 1/2 केशर पुत्री  
प्रह्लादराम 1/3 बाबू पुत्र  
प्रह्लादराम फौत के कायम  
मुकाम 1/3/1 जितेन्द्र कुमार  
पुत्र बाबू 2 श्रीमती पुरी पुत्री  
जयसिंह जल्ती गोमाराम पुत्र  
लालाराम निवासी रामदेरिया  
तहसील बाडमेर 3 पेमी पुत्री  
जयसिंह पत्नी भानाराम निवासी  
जाति छिपा कोटड़ा तहसील  
शिव जिला बाडमेर।

1 टीकमसिंह पुत्र जयसिंह फौत के कायम मुकाम 1/1  
शोभानाबैन पुत्री टीकमसिंह छिपा चौहान पत्नी  
किरतीलाल राठौड़ निवासी हरीकृपा सोसायटी डी मारट  
विशाल पेट्रोल पम्प के पास, साबरमती अहमदाबाद  
गुजरात 1/2 गायत्री बैन पुत्री टीकमसिंह छिपा चौहान  
पत्नी अरविन्द कुमार, निवासी डामयंड टेलर्स के पास,  
पुलिस चौकी के समाने तालुकका थराद जिला  
बनासकांठा, गुजरात 1/3 वर्षाबिन पुत्री टीकमसिंह  
छिपा चौहान निवासी डी कंविन साबरमती, अहमदाबाद,  
गुजरात 1/4 पलकबैन पुत्री टीकमसिंह छिपा चौहान  
पत्नी स्व. प्रदीप डी कंविन साबरमती अहमदाबाद  
गुजरात 2 राणा पुत्र जयसिंह फौत के कायम मुकाम  
2/1 केसाराम पुत्र राणाराम फौत के कायम मुकाम  
2/1/1 नरेश 2/1/2 रमेश कुमार पिसरान केसाराम  
2/1/3 दीनादेवी पत्नी केसाराम निवासी सोनडी हाल  
राय कॉलोनी बाडमेर 2/2 मोहनलाल पुत्र राणाराम  
छिपा चौहान, चंद्रभाणा सोसायटी, वाडीज अहमदाबाद  
गुजरात 2/3 लक्ष्मण पुत्र राणाराम छिपा चौहान,  
चांदखेड़ा, गुजरात हाउसिंग बोर्ड, साबरमती अहमदाबाद,  
गुजरात 2/4 तेजसिंह पुत्र राणाराम छिपा चौहान,  
निवासी पेट्रोल पम्प के पास, गांधीनगर रोड, साबरमती,  
अहमदाबाद गुजरात 3 तहसीलदार बाडमेर।

दावा बाबत् 88 व 188 रा.का.अ.

मुकदमा नम्बर :- 325/2019

निर्णय दिनांक :- 30.7.21

वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी .....की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख

..... को श्री रोहित चौहान, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे  
के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिकरी निम्नप्रकार दी जाती है कि :-

वादीनीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर वाद स्वीकार किया जाकर मौजा सोनडी नया राजस्व ग्राम  
सांतल भाखरी तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 70 रकबा 116.00 बीघा, खसरा  
संख्या 69 रकबा 01.00 बीघा कुल रकबा 117.00 बीघा भूमि में वादीनीगण को प्रतिवादी संख्या 01  
व 02 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर प्रत्येक का 1/5-1/5 हिस्सा खातेदारी का  
घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में दर्ज करें। खर्चा  
पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

यह आज तारीख 30.7.21 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी

(रोहित चौहान)  
सहायक कलक्टर,  
(फास्ट ट्रेक) बाडमेर

वाद के खर्चे

प्रतिवादी

रूपया

वादी  
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प  
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प  
3 प्रदर्शा के लिए स्टाम्प  
4 ..... रुपये पत्र-प्लीडर की फीस  
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय  
6 कमिश्नर की फीस  
7 आदेशिका की तामिल

रूपया

शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प  
अर्जी के लिए स्टाम्प  
प्लीडर की फीस  
साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय  
आदेशिका की तामिल  
कमिश्नर की फीस

जोड़

जोड़

